अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र

Andaman And Nicobar Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 24, पोर्ट ब्लेयर, बुधवार, 19 फरवरी, 2020

No. 24, Port Blair, Wednesday, February 19, 2020

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 19 फरवरी, 2020 ।

सं. 24/2020/फा.सं.–1–14(5)/सू.प्रौ./अं. तथा नि./भ.नि./2018.– भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 21 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या यू/14039/2/83/ए.एन.एल. के साथ पठित भारत के संविधान की अनुच्छेद 309 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा जारी दिनांक 13/11/2001 की अधिसूचना संख्या 189/2001/फा.सं. 16–6(1)/99–पी.डब्ल्यू का अधिक्रमण करते हुए तथा दिनांक 15/10/2019 के पत्र संख्या 3/30(1)/2019– भ.नि. द्वारा सूचित संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर उप राज्यपाल (प्रशासक) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के समामेलित सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग के उप प्रबन्धक (सू.प्रौ.) वर्ग–"ख" राजपत्रित पद भर्ती पद्धति को नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ :–

(i) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन संघ राज्य क्षेत्र का समामेलित सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग के उप प्रबन्धक (सू.प्रौ.) भर्ती नियमावली कहा जाएगा ।

(ii) ये इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :–

पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान आदि वही होंगे जो इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के पैरा 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएँ :–

इस पद से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएँ तथा अन्य मामले वही होंगे जो उपकथित अनुसूची के पैरा 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है ।

4. अयोग्यताएँ :–

कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने :

(क) ऐसे व्यक्ति से शादी या विवाह संविदा की हो, जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो,

या

(ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए अन्य किसी व्यक्ति से शादी या विवाह संविदा की हो :

बशर्ते उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी शादी ऐसे व्यक्ति को और शादी के दूसरे पक्ष को लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकते हैं।

5. ढील देने की शक्ति :–

जहाँ उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, तो वे कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

6. व्यावृत्ति :–

इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगी, जिनका इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह।

ह./–
सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी)

अनुसूची –I

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के समामेलित सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग के उप प्रबन्धक (सू.प्रौ.) के पद के लिए भर्ती नियमावली की अनुसूची

1.	पदनाम	**उप प्रबन्धक (सू.प्रौ.)**
2.	पदों की संख्या	01 (2019) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय।
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा (वर्ग 'ख') राजपत्रित (अलिपिक वर्गीय)
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	स्तर –7
5.	चयन पद या गैर–चयन पद	चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएँ पदोन्नति के मामलों में भी लागू होंगे ?	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर लघु अवधि अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति

11.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती किए जाने की स्थिति में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	**पदोन्नति** :– वेतन मेट्रिक्स के स्तर–6 में कार्यरत समामेलित सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग के सहायक प्रबन्धक में से जिन्होंने इस ग्रेड में **05** वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण की हो और जिन्होंने सरकारी विभागों / संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सॉफ्टवेयर विकास/हार्डवेयर/नेटवर्किंग/ई–गवर्नेंस के क्षेत्र में 15 दिनों का सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया हो । **टिप्पणी** :– जहाँ कनिष्ठ जिन्होंने अपनी योग्यता/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है और पदोन्नति हेतु उनके मामले में विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते की उनकी अपेक्षित योग्यता/पात्रता सेवा, ऐसी योग्यता/पात्रता सेवा से आधे से अधिक या दो वर्ष जो भी कम हो, से कम न हो और जिन्होंने अपने कनिष्ठ, जिन्होंने ऐसी योग्यता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि अनुबंध सहित) :** केंन्द्रीय / राज्य सरकार / संघ राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय के अधिकारियों में से :– **(क) (I)** मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समान पदधारी। **अथवा** **(II)** मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उसी ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा की हो **तथा** **(ख)** निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ रखता हो :– **(i)** किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी /कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री । **अथवा** **(ii)** किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी /कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी/सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई./बी.टेक। **नोट 1** :– फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी क्रम में हैं, उन पर प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के पात्र नहीं होगा । **नोट 2** :– प्रतिनियुक्ति की अवधि (आई.एस.टी.सी.) जिसमें प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) की वह अवधि भी शामिल है जो इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व अन्य वाह्य संवर्ग पर उसी अथवा किसी अन्य संगठन/केन्द्रीय सरकार के विभाग में रही हो, साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) द्वारा नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की आयु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसका गठन किस प्रकार से है ?	**वर्ग 'ख' पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का गठन इस प्रकार होगा :** मुख्य सचिव – अध्यक्ष सचिव (सू.प्रौ.) – सदस्य सचिव (कार्मिक) – सदस्य कम्प्यूटर विज्ञान/एप्लिकेशन में कोई एक विशेषज्ञ – सदस्य
13.	किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ?	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION
INFORMATION TECHNOLOGY SECTION

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 19th February, 2020.

No. 24/2020/F.No.1-14(5)/IT/A&N/RR/2018.— In exercise of the powers conferred by provision to the Article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi Notification No. U/14039/2/83/ANL dated 21st February, 1985 and in supersession of A & N Administration's Notification No. 189/2001/F.No. 16-6(1)/99-PW dated 13.11.2001 and in consultation with UPSC as communicated vide Letter No. 3/30(1)/2019-RR dated 15/10/2019, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands hereby make the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'B' Gazetted post of Deputy Manager (IT) in the Amalgamated Information Technology Cadre (AITC) of Andaman and Nicobar Administration, namely :—

1. Short title and commencement :—

i. These Rules may be called the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands Administration Amalgamated Information Technology Cadre (AITC) posts of Deputy Manager (IT) Recruitment Rules, 2019.

ii. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Scale of Pay :—

The number of the posts, its classifications and scale of pay attached thereto shall be as specified in paras 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications :—

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in paras 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification :—

No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands, may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule

5. Powers to relax :—

Where the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings :—

Nothing in these rules shall affect the reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Lieutenant Governor,
Andaman & Nicobar Islands.

Sd./-
Secretary (IT)

SCHEDULE-I

SCHEDULE OF RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DEPUTY MANAGER (IT) OF AMALGAMATED INFORMATION TECHNOLOGY (IT) CADRE OF A & N ADMINISTRATION

1.	Name of the post	**Deputy Manager (IT)**
2.	No. of post	01 (2019) Subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Services (Group B), Gazetted, Non-Ministerial
4.	Level in the Pay Matrix	Level - 7
5.	Whether Selection post or Non-Selection post ?	Selection
6.	Age limit for direct recruits	Not Applicable
7.	Educational and other qualifications required for Direct recruits	Not Applicable
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotions ?	Not Applicable
9.	Period of probation, if any	Not Applicable
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	By Promotion failing which by Deputation including Short-Term Contract
11.	In case of recruitment by promotion / deputation / transfer grade from which promotion / deputation / transfer to be made	**Promotion :** From amongst the Assistant Manager (IT) of AIT Cadre in the Level-6 in the Pay Matrix with 5 years regular service in the grade and having successfully completed atleast 15 days in-service training in the field of Software Development/Hardware/ Networking/ e-Governance to be organized by Govt. Departments/ Organizations.

		Note :— Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. **Deputation (including Short-Term Contract) :—** Officers under the Central Government or State Government or Union Territories Administration or Public Sector Undertaking or Recognized Universities or Research Institutions or Autonomous Bodies or Statutory Organizations:— A. (I) Holding analogous post on regular basis in the Parent Cadre or Department; **OR** (II) With five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level-6 in the Pay Matrix or equivalent in the Parent Cadre or Department; **AND** (B) Possessing the following Educational qualifications :- (I) Master's Degree in Computer Applications/ Information Technology/ Computer Science from a recognized University/ Institute; **OR** (II) B.E/ B.Tech in Computer Engineering/ Computer Science/ Computer Technology/ Computer Science & Engineering/ Information Technology from a recognized University/ Institute. **Note 1 :—** The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :—** Period of Deputation (ISTC) including period of Deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by Deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
12.	If a DPC exists, what is its composition ?	**Group B DPC for Promotion consisting of :** Chief Secretary - Chairman Secretary (IT) - Member Secretary (Perl.) - Member One expert in Computer Science/Application - Member
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted ?	Consultation with UPSC not necessary

MGPPB—24/Gazette/2020 15 Copies. (NKM-HCL-XII)